न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 27 / 2017

1 रिसाल कंवर पत्नी सज्जनसिंह उम्र 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मंगलचन्द पुत्र गोपाल।
2 सुल्तान पुत्र गोपाल।
3 हरलाल पुत्र गोपाल।
4 बलदेव पुत्र गोपाल।
5 सरस्वती पत्नी सुखराम।
6 रवि पुत्र सुखराम समस्त जाति जाट निवासीगण तारपुरा तहसील व जिला सीकर।
7 भंवरसिंह पुत्र बन्नेसिंह।
8 आशा कंवर पत्नी सुगनसिंह।
9 बाबूसिंह पुत्र सुगनसिंह।
10 इचीसिंह पुत्र सुगनसिंह।
11 नाहरसिंह पुत्र सुगनसिंह।
12 गोमसिंह पुत्र सुगनसिंह।
13 छगनसिंह पुत्र बन्नेसिंह।
14 मोहनसिंह पुत्र शिवदयालसिंह।
15 जसवन्त सिंह पुत्र सज्जनसिंह।
16 रणवीर सिंह पुत्र सज्जनसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण तारपुरा तहसील व जिला सीकर।
17 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बेरी जरिये शाखा प्रबन्धक।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

18 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा तारपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
19 भूमिधारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व प्रारम्भिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 02.09.2015 न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर मुकदमा नम्बर 135/13 उनवानी मंगलचन्द बनाम भंवरलाल आदि पीठासीन अधिकारी सुश्री भावना गर्ग आर.ए.एस

अपील संख्या 28/2017

1 रिसाल कंवर पत्नी सज्जनसिंह उम्र 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मंगलचन्द पुत्र गोपाल।
2 सुल्तान पुत्र गोपाल।
3 हरलाल पुत्र गोपाल।
4 बलदेव पुत्र गोपाल।
5 सरस्वती पत्नी सुखराम।
6 रवि पुत्र सुखराम समस्त जाति जाट निवासीगण तारपुरा तहसील व जिला सीकर।
7 भंवरसिंह पुत्र बन्नेसिंह।
8 आशा कंवर पत्नी सुगनसिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

9 बाबूसिंह पुत्र सुगनसिंह।
10 इचीसिंह पुत्र सुगनसिंह।
11 नाहरसिंह पुत्र सुगनसिंह।
12 गोमसिंह पुत्र सुगनसिंह।
13 छगनसिंह पुत्र बन्नेसिंह।
14 मोहनसिंह पुत्र शिवदयालसिंह।
15 जसवन्त सिंह पुत्र सज्जनसिंह।
16 रणवीर सिंह पुत्र सज्जनसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण तारपुरा तहसील व जिला सीकर।
17 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बेरी जरिये शाखा प्रबन्धक।
18 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा तारपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
19 भूमिधारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व अन्तिम डिक्री एवं निर्णय दिनांक 02.11.2017 न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर मुकदमा नम्बर 135/13 उनवानी मंगलचन्द बनाम भंवरलाल आदि पीठासीन अधिकारी सुश्री भावना गर्ग आर.ए.एस

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रहलाद राम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 16.04.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह दोनो अपीले विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 135/2013 में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2015 एंव अन्तिम डिक्री दिनांक 02.11.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत अपील मे विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलीयों में अलग–अलग रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 550 रकबा 3.93 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 564 रकबा 0.030 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 565 रकबा 0.030 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 566 रकबा 4.94 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 8.93 हैक्टेयर बाबत एक वाद रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5/वादीगण ने अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 6 ता 19 के विरूद्व बाबत बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती इन कथनो के साथ पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने उक्त भूमियो का काफी अर्सा पूर्व आपसी सहमति से खातेदारी के अनुसार भूमि को बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा बंटवारा के अनुसार अपने अपने भू–भागो पर पेड़ पौधे लगाकर खाद्य डालकर व समतल कर उपजाऊ बना रखा है तथा मकानात व नलकूप बनाकर विधुत संबंध भी ले रखे है जिस बंटवारा से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 12 के हिस्सा में खसरा नम्बर 564 रकबा 0.030 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 565 रकबा 0.030 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 566 रकबा 4.94 में से 2.1725 हैक्टेयर उतरी ओर की कुल 2.2325 हैक्टेयर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हिस्सा में खसरा नम्बर 550 रकबा 3.93 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 566 रकबा 4.94 हैक्टेयर में से 2.7675 हैक्टेयर दक्षिणी ओर की कुल 6.6975 हैक्टेयर भूमि आयी है तथा वादीगण अपने हिस्सा की भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 550 के पूर्वी ओर 20 फिट चौड़ा रास्ता है जिससे अपने साधनो से आवागमन करते है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमियो का खाता शामलाती है तथा बिना विधिवत बंटवारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

माप एवं सीमाकन के अलग–अलग रकबे व लम्बाई चौड़ाई के साथ विभाजन नही हो रहा है, अब बिना विभाजन के शामलाती तौर पर उक्त कृषि भूमियो में शांतिपूर्वक तरीके से भी अपने हिस्सा प्राप्त नही हो पा रहा है। इसलिए बाहमी बंटवारा के अनुसार विधिवत बंटवारा करवाने के अधिकारी है तथा अलग–अलग खसरा नम्बर व सींव नींव अलग रकबा करने का तथा रास्ता की समुचित व्यवस्था करवाकर वादीगण अपने तन्हा कब्जे, अधिकार, स्वामित्व व आधिपत्य में प्राप्त करने के अधिकारी है। जिस हेतु विभाजन की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त वाद में अपीलांट व उसके परिवार के सदस्य रेस्पोडेंट संख्या 15 व 16 की तामील नही हुई तथा फर्जी तामील के आधार पर वादीगण ने वाद में दिनांक 18.12.2013 को एकपक्षीय कार्यवाही करवा दी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर साजसी रूप से प्ररम्भिक डिक्री दिनांक 02.09.2015 को प्राप्त कर ली। उक्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना में अदालत मातहत ने तहसीलदार सीकर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जो विभाजन प्रस्ताव पक्षकारो को बिना नोटिस दिये तैयार करके अदालत मातहत में भिजवा दिये तथा अदालत मातहत द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 11.02.2017 को पारित कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 9 तथा इनके परिवार के सदस्यो प्रतिवादी संख्या 10 व 11 की तामील विधिवत रूप से नही करवायी तथा तामील साजसी रूप से करवाकर वाद की सूचना प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 को नही होने दी तथा बाला बाला साजसी रूप से प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02.09.2015 को प्राप्त कर ली जो डिक्री प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित की गयी है। इसलिए प्रारम्भिक डिक्री अपास्त होने योग्य है। अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 9 अनपढ़ महिला है तथा हस्ताक्षर करना नही जानती है तथा अपनी अंगुठा निशानी लगाती है किन्तु प्रतिवादी संख्या 9 जो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सम्मन अदालत मातहत द्वारा जारी किया गया है उसमें यह अंकन है कि एक प्रति प्राप्त की रिसाल कंवर इस प्रकार अपीलांट के समन पर किसी साजसी के हस्ताक्षर करवाकर झुंठी तामील की रिपोर्ट करवाकर अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है तथा प्रारम्भिक डिक्री अपास्त होने योग्य है। अदालत के हक व हिस्से की भूमि में से होकर कोई रास्ता 25 फिट का वादीगण के आवागमन हेतु नही था किन्तु वादीगण ने अपीलांट के खेत में से रास्ता दर्शाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री प्राप्त कर ली जो प्रारंम्भिक डिक्री अपास्त होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा जवाबदावा वादीगण के कथनो का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया गया। जिस आधार पर कानूनन तनकी कायम करके ही वाद का निर्णय किया जा सकता था। अपीलांट को अदालत मातहत में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद की जानकारी नही होने दी तथा फर्जी व साजसी तामील रिपोर्ट करवाकर प्रारम्भिक डिक्री प्राप्त कर ली। जिसकी जानकारी दिनांक 18.04.2017 को पटवारी हल्का द्वारा अंतिम डिक्री की पालना हेतु अपीलांट के खेत में से होकर रास्ता काटने का निर्णय हो जाने की बात बताने पर उक्त निर्णय की नकल हेतु आवेदन दिनांक 18.04.2017 को प्रस्तुत करने तथा नकल दिनांक 19.04.2017 को मिलने पर पहली बार जानकारी हुई। इस प्रकार प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम निर्णय की जानकारी पहली बार दिनांक 19.04.2017 को होने पर अपील जानकारी के हिसाब से अन्दर मियाद है फिर भी आवेदन अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट खातेदार को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व कोई नोटिस सुनवाई हेतु जारी नही किया तथा बिना सुनवाई के ही विभाजन प्रस्ताव मनमाने ढंग से तैयार करके अदालत मातहत में भिजवा दिये। कानूनन व नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का अधिकार भूमिधारी तहसीलदार को ही होता है, विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार नही किये गये। पटवारी हल्का व गिरदावर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का कोई अधिकार नही होता है। विभाजन प्रस्ताव को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर नही गया तथा डिक्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की पालना हेतु पटवारी हल्का व गिरदावर को आदेशित कर दिया। तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव का अधिकार पटवारी हल्का व गिरदावर को डेलीगेट करने का अधिकार नही है। इसलिए विभाजन प्रस्ताव अनाधिकृत राजस्वकर्मी पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा तैयार किये हुए होने तथा विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना नही किये जाने के कारण एवं विधि विरूद्व होने के कारण अंतिम डिक्री अपास्त होने योग्य है। वाद पत्र में वादीगण ने भूमि खसरा नम्बर 550 में से भूमि बंटवारा में नही मांगी है किन्तु इसके विपरित विभाजन प्रस्ताव में वादीगण को खसरा नम्बर 550 की 0.10 हैक्टेयर भूमि जो अपीलांट के कब्जे काश्त की है उसे वादीगण को देना प्रस्तावित कर दिया तथा उसी आधार पर अंतिम डिक्री पारित कर दी। वादीगण का कोई रास्ता अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 550 में से होकर नही है। किन्तु इसके बावजूद मनमाने ढंग से एंव साजसी रूप से अपीलांट की भूमि में से 0.10 हैक्टेयर भूमि रास्ते के लिए विभाजन प्रस्ताव में प्रस्तावित करवाकर अंतिम डिक्री साजसी रूप से पारित करवा ली। विद्वान अधिवक्ता ने अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विवादित भूमि के सन्दर्भ में बंटवारे का दावा दिनांक 01.11.2013 को प्रस्तुत किया गया था। इस तिथि को प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 18.12.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 से 12 व 15 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुये है एवं इनके अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की और से दिनांक 17.01.2014 को आवेदन आदेश 9 नियम 13 बाबत मनसुख किये जाने एकपक्षीय कार्यवाही विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 20.05.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त की गई है। वर्तमान अपीलांट रिसाल कंवर विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 9 थी। विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रतिवादी संख्या 9 रिसाल कंवर का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तामीली नोटिस संलग्न है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाने हेतु कोई प्रयास नही किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील मेमो में तामील को फर्जी होना कथित किया गया है किन्तु इस सन्दर्भ में कोई विधिक कार्यवाही की गई हो। ऐसा भी कोई साक्ष्य अपील की पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उपस्थिति पक्षकारो को सुनकर विधिक प्रकिया अपनाकर विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव मे भी अंकित है कि मौके पर अपीलांट रिसाल कंवर उपस्थित थी किन्तु विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के सन्दर्भ में बंटवारे का दावा दिनांक 01.11.2013 को प्रस्तुत किया गया था। इस तिथि को प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 18.12.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 से 12 व 15 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुये है एवं इनके अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की और से दिनांक 17.01.2014 को आवेदन आदेश 9 नियम 13 बाबत मनसुख किये जाने एकपक्षीय कार्यवाही विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 20.05.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त की गई है। वर्तमान अपीलांट रिसाल कंवर विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 9 थी। विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रतिवादी संख्या 9 रिसाल कंवर का तामीली नोटिस संलग्न है किन्तु अपील मेमो एवं अपीलांट के वकालत नामे पर अपीलांट रिसाल कंवर की अगुठा निशानी है। अपीलांट का यह कथन रहा है कि अपीलांट हस्ताक्षर नही कर सकती है अपितु अगुठा निशानी ही लगाती है। जबकि विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न अपीलांट रिसाल कंवर के तामीली नोटिस पर रिसाल कंवर के हस्ताक्षर अंकित होकर एक प्रति प्राप्त करने का उल्लेख

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है। ऐसी स्थिति में विरोधाभाषी तथ्य होने के कारण अपीलांट की तामीली प्रक्रिया को सन्देह से परे नही माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के जवाब दावे में वाद पत्र को अस्वीकार कर वाद वादीगण खारिज करने का निवेदन किया गया था इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अनुसार तनकीयात कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य लिये बिना सीधे ही विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी की है। जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये है। जबकि नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव स्वंय तहसीलदार द्वारा तैयार किया जाने का विधि में आज्ञापक प्रावधान है। ऐसी स्थिति में भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माने जा सकते है। अपीलांट के आवेदन धारा 5 एवं शपथ पत्र का खण्डन रेस्पोडेंट ने प्रस्तुत नही किया है। अत न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई विधिक प्रकिया अनुसार प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.05.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर